न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **18/2022** दायर दिनाँक **11.01.2022**

वादी

1. अब्दुल रहमान पुत्र फिरोज खां जाति देशवाली निवासी खातियाबासनी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. मुस्ताक खां पुत्र भंवरूखां जाति कायमखानी निवासी खातियाबासनी हाल निवासी डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
2. अ.रहमान पुत्र मोहम्मद
3. दाउद पुत्र मोहम्मद
4. लियाकत पुत्र मोहम्मद
5. शोकतअली पुत्र मोहम्मद
6. सलेभ पुत्र मेहराब
7. लियाकत पुत्र फिरोजखां
8. सोकतअली पुत्र फिरोजखां समस्त जाति देशवाली निवासी खातियाबासनी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.
9. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत 88,188 R.T.Act. में
प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 C.P.C.

उपस्थितः–

1. श्री ओमप्रकाश पुनियां वकील, वादी की ओर से।
2. श्री मुस्ताक खां वकील प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **04.08.2025**

वाद में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का दिनांक 09.09.2022 को पेश हुआ। प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी द्वारा एक मिथ्या तथ्यो के आधार पर वाद पेश किया हुआ है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त राजस्व वाद घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु न्यायालय हाजा में पेश किया है। वादी ने उक्त वाद में इकरारनामा दिनांक 17.11.2009 के आधार पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है। इकरारनामा के आधार पर खातेदारी दिये जाने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। बल्कि सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित होने से इसी स्टेज पर निरस्त किये जाने योग्य है। वादी ने घोषणा खातेदारी के साथ स्थाई निषेधाज्ञा भी चाहा है किन्तु स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद के मात्र रेकर्डेड खातेदार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्तुत वाद में वादी रेकर्डेड खातेदार नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी को स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद पेश करने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इस कारण भी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद इसी स्टेज पर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद इसी स्टेज पर निरस्त फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:11:05 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पर का जवाब पेश कर जवाब मे बताया कि वादी न प्रतिवादीगण को सप्रतिफल राशि अदा कर वाद निहित भूमि का कब्जा उसी दिवस प्राप्त कर लिया है। वादी ने प्रतिवादी से वाद निहित भूमि क्रय करके कब्जा प्राप्त कर लिया तथा तभी से वादी का उक्त वाद निहित भूमि पर बेरोकटोक आबाद रूप से करीब 12 वर्ष से अधिक समय से काबिज काश्त हैं तथा आज भी उक्त भूमि पर वादी अपना आवासीय मकान बनाकर बिना किसी अवरोध बाधा के निवास कर रहा हैं। उक्त भूमि कृषि भूमि हैं। जिसे न्यायालय श्रीमान को वाद सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। वादी का वाद निहित भूमि पर कय दिनांक से आज दिन तक काबिज काश्त हैं तथा वादी का उक्त कय शुदा भूमि में आवासीय मकान बना हुआ हैं। उक्त भूमि इस दौरान प्रतिवादी ने कभी भी आज तक उजर ऐतराज पेश नहीं किया है। वादी उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का विधिक अधिकारी हैं। वादी वाद निहित भूमि को प्रतिवादी अनाधिकृत रूप से गलत अंकन की आड में अन्य किसी को बैचान करने पर उतारू होने के कारण वादी प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए श्रीमान के यहां प्राप्त करने का अधिकारी है। वाद अचल सम्पति से सम्बन्धित है तथा वादी का कय दिनांक से आज तक कब्जा चला आ रहा है। जिससे उक्त प्रकरण में तनकियात कायम की जाकर साक्ष्य लेखबद्ध की जाकर वाद का निस्तारण किया जाना विधि संगत हैं। जिससे इस स्टेज पर प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र पेश किया जाना विधि के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने की कृपा करावें।

विद्वान वकुलाय पक्षकारान् की सारगर्भित बहस सुनी गयी। वकील प्रतिवादी की बहस मुख्यतः प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर आधारित रही एवं वकील वादी की बहस मुख्यतः प्रार्थना पत्र में वर्णित जवाब में तथ्यों पर आधारित रही।

पत्रावली का अवलोनकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। प्रतिवादी अधिवक्ता का मुख्य कथन है कि वादी ने उक्त वाद में जरिये इकरारनामा दिनांक 17.11.2009 के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहा है। इकरारनामा के आधार पर खातेदारी दिये जाने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है बल्कि सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। जिससे वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। अतः प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी परिपोषणीय एवं न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है। वाद वादी न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होने से खारिज किया जाता है।

–:: **आदेश** ::–

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी परिपोषणीय एवं न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाकर, वाद वादी पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

vikas

उपखण्ड अधिकारी

(विकास मोहन भाटी)

डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनाँक **04.08.2025** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:11:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

(विकास मोहन भाटी)

डीडवाना

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी डीडवाना